

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-11102021-230336  
SG-DL-E-11102021-230336

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293]	दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 8, 2021/आश्विन 16, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 206
No. 293]	DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ASVINA 16, 1943	[N. C. T. D. No. 206

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पुरातत्व विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2021

सं.फा. 2(3)/स्था०/पुरा०/2020/1243.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितंबर, 1968 की अधिसूचना सं० एस.ओ 3532 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 3 सितंबर, 1981 की अधिसूचना संख्या फा० 2(85)/80-एस II द्वारा अधिसूचित पद फोरमैन (कार्य करने वाला) के लिए भर्ती नियमों के अधिक्रमण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में फोरमैन (वर्क्स) के पद हेतु भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-** (i) इन नियमों को पुरातत्व विभाग, फोरमैन (वर्क्स) भर्ती नियमावली, 2021 कहा जायेगा।  
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. **पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-** उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि :-** उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (11) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए सक्षम अधिकारी के परामर्श से एवं आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव** :— इन नियमों के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक या अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**अनुसूची**

1.	पदनाम	:	फोरमैन (वर्क्स)
2.	पदों की संख्या	:	02'(2021) 'परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	समूह 'ग', सामान्य केंद्रीय सेवा, अराजपत्रित, अलिपिकीय,
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	स्तर- 4 (25500-81100 /—रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18-27 वर्ष के बीच  <b>टीप 1</b> : केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिये अधिकतम आयु-सीमा में 40 वर्ष तक की छूट होगी। <b>टीप 2</b> : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होंगे।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	<b>अनिवार्य</b> :— (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं अथवा इसके समकक्ष उत्तीर्ण। (ii) नक्शानवीस (सिविल) में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण-पत्र।  <b>टीप 1</b> : उम्मीदवार के अन्यथा सुयोग्य होने पर सक्षम प्राधिकारी के विवेक के आधार पर अभिलेखबद्ध लिखित कारणों से योग्यता शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	सीधी भर्ती के लिये दो वर्ष

10.	भर्ती की पद्धति	:	सीधी भर्ती द्वारा  <b>टीप-1</b> : पदग्राही के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में एक या अधिक वर्ष की अवधि के दौरान अवकाश पर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्र सरकार के उन अधिकारियों से, जो नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत है तथा कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताएँ रखते हैं, से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकती है।  (केंद्रीय सरकार के उसी या कुछ अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पूर्ववर्ती किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सम्मिलित है, जो सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण (लघु-अवधि संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा हुई नियुक्ति के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा स्थायीकरण पर विचारार्थ,  1. प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — अध्यक्ष 2. सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार—सदस्य 3. उप-सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार—सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
स्वाति शर्मा, सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

## DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

### NOTIFICATION

Delhi, the 8th October, 2021

**No. F.2(3)/Estt./Archy/2020/1243.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification number F.27/59-Him(i) dated the 13<sup>th</sup> July, 1959 and in supersession of the recruitment rules for the post of Foreman (Works) notified vide notification No. F.2(85)/80-S.II dated 30<sup>th</sup> September, 1981, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of Foreman (Works) in the Department of Archaeology, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:—

**1. Short Title and Commencement. –**

(1) These rules may be called the Department of Archaeology for the post of Foreman (Works) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

**2. Number of Posts, its classification and level in pay matrix. –**

The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit, qualification etc. -**

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns (5) to (11) of the said Schedule.

**4. Disqualifications. –**

No persons, -

- (a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax. -**

Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Competent Authority, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving. –**

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by Government of India from time to time, in this regard.

**SCHEDULE**

1.	Name of the Post.	Foreman (Works).
2.	Number of Posts.	02* (2021) * subject to variation dependent on workload.
3.	Classification.	General Central Services Non Ministerial, Non-Gazetted, Group 'C'.
4.	Pay Level.	Level – 4 (Rs. 25500-81100).
5.	Whether Selection Post or Non-Selection Post.	Not Applicable.
6.	Age limit for direct recruits.	Between 18 and 27 Years.  Note 1 : The Upper age-limit is relaxable for the departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.  Note 2 : The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Delhi Subordinate Services Selection Board/Competent Authority.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	<b>Essential:</b> 1. Matriculation or its Equivalent from a recognized Board. 2. Industrial Training Institute Certificate in Draughtsman (Civil).  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.
8.	Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.	Not Applicable.

9.	Period of Probations, if any.	Two years for direct recruits.
10.	Method of Recruitment.	<p>By Direct Recruitment.</p> <p>Note-1: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under Col.7.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract)/transfer shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.)</p>
11.	In case of recruitment, by promotion/deputation/transfer grade from which promotion/deputation/transfer to be made.	Not Applicable.
12.	If a DPC exists, what is its composition.	<p><b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :</b></p> <p>1. Principal Secretary/ Secretary (Power), Govt. of NCT of Delhi : <b>Chairman.</b></p> <p>2. Secretary (ACL), Govt. of NCT of Delhi : <b>Member.</b></p> <p>3. Deputy Secretary (Finance) Govt. of NCT of Delhi: <b>Member.</b></p>
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not Applicable.

By Order and in the Name of Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

SWATI SHARMA, Secy. (ACL)